न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–341/2017 (RCMS No. 2017/00363) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

भरत कपूर पुत्र गौत्तम राय कपूर जाति कपूर निवासी नई दिल्ली

.....अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार, लैण्ड होल्डर, सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर दिनांक 29.10.15

उपस्थितिः–

1. श्री आशीष कुमार जैन एवं सुश्री पदमिनी राठौड, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 31.07.2018

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 29.10.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम राजस्थान सरकार व सैटिलमेन्ट अधिकारी टौंक के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी ख0नं0 624/5 रकवा 5 बीघा वांके ग्राम शेरपुर जरिये वयनामा क्रय किया था जिसका नामा0 सं0 369 दिनांक 26.10.89 को दर्ज हो गया। भू प्रबन्ध विभाग ने गत खसरा नम्बर के हाल ख0 नं0 883/1088, 883/1085, 891/892 बनाये हैं जबकि जमाबन्दी में ख0 नं0 934, 935, 938 कुल रकवा 0.66 है0 जो साबिक ख0 नं0 624/5 के मिलान खसरा नम्बरों के अनुसार मिले हैं। प्रार्थी अपीलान्ट का रकवा 1.25 है0 होना चाहिये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के कब्जे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर प्रार्थी को खातेदारी की भूमि का कुल रकवा 5 बीघा दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सवाई माधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें अंकित किया है कि साबिक ख0 नं0 624/5 रकवा बीघा के नवीन ख0 नं0 934, 935, 938 कुल रकवा 0.66 है0 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0 नं0 1032 रकवा 0.21 है0 वर्तमान में मोहन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लाल पुत्र किशन अग्रवाल हिस्सा 1/3 प्रभूदयाल पुत्र भूरामल हिस 1/3 संजय पुनीत पिता सुरेन्द्र कुमार हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 1032 भी साबिक खसरा नं0 624/5 से ही बना है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि प्रार्थी द्वारा सह खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। सह खातेदारों की सुनवाई किये बिना प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का कथन है कि तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुने ही निर्णय पारित किया है। तहसीलदार की झूँठी व गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.10.15 को बहस नही हुई। अपीलान्ट को बिना सुने ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रार्थना पत्र पर गौर नही किया कि पुराना ख0 नं0 624/5 रकवा 5 बीघा का है परन्तु मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 624/5 के 883/1088, 883/1085, 891/892 बनाये हैं जो सिवायचक में दर्ज कर दिये है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट को पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में राजस्व रिकार्ड की प्रतियां पेश नही की हैं। अपीलान्ट ने न तो मिलान क्षेत्रफल पेश किया है और न ही अपने कथन की पुष्टि में जमाबन्दी की नकलें पेश की हैं। अपीलान्ट ने सह खातेदारों को भी पक्षकार नही बनाया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह उचित है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम राजस्थान सरकार व सैटिलमेन्ट अधिकारी टौंक के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी ख0नं0 624/5 रकवा 5 बीघा वांके ग्राम शेरपुर जरिये वयनामा क्रय किया था जिसका नामा0 सं0 369 दिनांक 26.10.89 को दर्ज हो गया। भू प्रबन्ध विभाग ने गत खसरा नम्बर के हाल ख0 नं0 883/1088, 883/1085, 891/892 बनाये हैं जबकि जमाबन्दी में ख0 नं0 934, 935, 938 कुल रकवा 0.66 है0 दर्ज है जबकि अपीलान्ट का रकवा 1.25 है0 होना चाहिये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के कब्जे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर प्रार्थी को खातेदारी की भूमि का कुल रकवा 5 बीघा दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सवाई माधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त कर यह माना कि प्रार्थी द्वारा सह खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। सह खातेदारों की सुनवाई किये बिना प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि तहसीलदार की रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट नही हो रही है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट के साथ या अपीलान्ट ने अपनी अपील के साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नही किये हैं जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। ऐसी स्थिति में बिना रिकार्ड के सही निर्णय की स्थिति पर नही पहुँचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में बिना रिकार्ड

के अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही होने से पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.10.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमानुसार सबंधित पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाकर, संबंधित दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.09.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official